पत्रांक /आयु0 कर उत्तरां0/फार्म–अनु0/2014–15/वाणिज्य कर/दे0दून

कार्यालय–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)
देहरादून:: दिनांक::15 दिसम्बर, 2014

::विज्ञप्ति::

प्रान्त से प्रान्त में (अन्य प्रान्त से होकर) जाने वाले माल से सम्बन्धित बिलों पर प्रयुक्त होने वाले ओ0सी0स्टैम्पस सीरीज "**OCAAUK-2012** क्रमांक **1000001 से 2000000**" तक इस कार्यालय की विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रचलन में आ जायेंगे। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति द्वारा प्रचलन में लाये गये स्टैम्पस सीरीज **OCAAUK-2012** क्रमांक 000001 से 1000000 तक भी प्रचलन में बनें रहेंगे।

उक्त सीरीज **OCAAUK-2012** क्रमांक **500001** से **1000000** तक के सभी स्टैम्पस 60 GSM के क्रीमवेव पेपर पर मुदित कराये गये हैं तथा इन स्टैम्पस में नम्बरिंग बॉक्स के बॉर्डर लाईन में एक सिक्योरिटी फीचर्स **"GOVERNMENT OF UTTRAKHAND"** मुद्रित हैं, जो **Magnifying glass** का प्रयोग करने से दिखाई देता है।

इन स्टैम्पस की बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग हल्के नीले रंग में की गयी है। स्टैम्पस पूर्व की भाँति दो प्रतियों में मुद्रित हैं तथा उनके ऊपर वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड लिखा गया है। स्टैम्पस के बीच में वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड सरकार का लोगो बना हुआ है। स्टैम्पस में हल्के काले रंग में नम्बरिंग डिजिटल प्रिंटिग मशीन द्वारा की गयी है।

/

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 4159/व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1– प्रमुख सचिव वित्त,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस इन्द्रानगर, देहरादून।
3– अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– अपर निदेशक,राजकीय लिथो प्रेस, रूडकी को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसे उत्तराखण्ड गजट(साधारण) में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5– एडिशनल कमिश्नर(विधि/प्रवर्तन/टैक्स–ऑडिट) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।
6– एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर कुमाऊँ जोन रूद्रपुर/गढवाल जोन देहरादून।
7– ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियां करवाकर अपने अधीनस्थ कार्यालयों/व्यापार संघों/अधिवक्ता संघों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा फार्मस में कोई भी विसंगति पाये जाने पर मुख्यालय को सूचित करें।
8– ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0)वाणिज्य कर, गढवाल जोन, हरिद्वार एवं कुमाऊँ जोन रूद्रपुर को इस निदेश के साथ कि इस विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियां करवाकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों, प्रवर्तन/सचल दल इकाईयों को तुरन्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9– ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
10– मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।
11– संख्या–अनुभाग मुख्यालय को व्यापार संघों एवं अधिवक्ता संघों के ई–मेल पते पर भेजने हेतु।
12– मौ0 शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय/web. information officer NIC को विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।